**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 222**

**(मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)**

**सीएसआर अनुपालन और निगरानी**

**222 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः**

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय कितना है;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर व्यय मानदंडों का अनुपालन न करने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार परियोजना परिणामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत सीएसआर निगरानी और मूल्यांकन मंच बनाने का प्रस्ताव रखती है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

**(क):** सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फ़ाइल करना होता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनियों द्वारा कुल सीएसआर व्यय इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|
| कुल | 27141.45 | 30932.07 | 34908.75 |

(31.03.2025 तक के आंकड़े) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

**(ख) से (ग):** जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो ऐसी गैर-अनुपालन कंपनियों के विरुद्ध रिकॉर्ड की उचित जांच और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व) अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में, जिन कंपनियों को दंडित किया गया है और उन पर लगाई गई शास्ति का विवरण अनुलग्नक में है।

(घ): केन्द्रीकृत सीएसआर निगरानी और मूल्यांकन मंच के सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

दिनांक 02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के पैरा (ग) से संदर्भित अनुलग्नक

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष (वि.व) | दंडित कंपनियों की संख्या | अधिरोपित शास्ति (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2022-23 | 06 | 2.97 |
| 2. | 2023-24 | 11 | 3.32 |
| 3. | 2024-25 | 13 | 13.65 |
| कुल | | 30 | 19.94 |

****